

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी : दिवांशु शर्मा आर0ए0एस0

नम्बर

अहका

हुक्म व

में जर्जर संख्या : 155/2020 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. रामलाल पिता मांगु जाट नि0 लाम्बियाकला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.) _____प्रार्थी

बनाम

1. जगन्नाथ पिता भागु जाट निवासी - लाम्बियाकला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. देवा पिता भैरु जाट निवासी - लाम्बियाकला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजु पिता भैरु जाट निवासी - लाम्बियाकला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. मिश्रीलाल पिता मगना जाट निवासी - लाम्बियाकला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.) _____अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित -

1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. पैरोकार सरकार विपक्षी संख्या 5

निर्णय

दिनांक 23-10-20

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251-(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 23.9.2020 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो के संदर्भ में अन्य विपक्षिगणो द्वारा कोई प्रतिरोध पैश नहीं किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा लाम्बियाकला पटवार मण्डल लाम्बियाकला तहसील बनेड़ा स्थित खाता संख्या 633 का आराजी नम्बर 1096 कुल खसरा 01 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वयं के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अडौसी-पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षिगणो की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगणो द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की आराजी सं0 1094 के मेर के सहारे-सहारे 6 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2020 को मामले में तहसीलदार बनेड़ा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षी संख्या 01 से 04 की और से अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार जीनगर द्वारा वकालात नामा प्रस्तुत किया व दिनांक 16.10.2020 को जवाब प्रार्थनपत्र का जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अध्ययन किया गया। इसे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी की आराजी न0 1094 मे से 0-01 बीघा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251-(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबन्धि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है जो निम्न है -

1. प्रार्थी ग्राम लाम्बियाकला की उक्त निजी खातेदारी भूमि से होकर अपने खेत पर पहुंचते है जिसकी लम्बाई 165 फीट है इसके अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं है।
2. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता विपक्षी गण की ग्राम लाम्बियाकला की खातेदारी आराजी नं0 1094 मे से नया रास्ता देने के लिए 0-01 बीघा भूमि रास्ते हेतू चाही गई है।
3. ग्राम लाम्बियाकला के आराजी न0 1094 मे से 0-01 बीघा भूमि रास्ते हेतू चाही गई है जो विपक्षी जगनाथ पिता भागु 1/3, देवा राजु पिता भैरु 1/3, मिश्रीलाल पिता मगना 1/3 जाट के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है जिसकी जमाबन्दी नकल संलग्न है।
4. प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम एवं उपयुक्त है।
5. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसी दर 100701/- प्रति बीघा से 0-01 बीघा भूमि की मालियत 5036/- रूपये बनती है।

मेने पत्रावली का उद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 6 फिट का रास्ता चाहा गया था। परन्तु अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा लाम्बियाकला के आराजी न0 1094 मे से 0-01 बीघा भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।


उपखण्ड अधिकारी बनड़
जिला भोलवाड़ा (राज.)

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है । एवं मौजा लाम्बियाकला के आराजी न० 1094 मे से 0-01 बीघा भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाने योग्य है । मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित उक्त 0-01 बीघा का जिसे नक्षा टेस में प्रदर्श किया गया है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवाई जाने योग्य है एवं मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम लाम्बियाकला पटवार मण्डल लाम्बियाकला तहसील बनेडा स्थित खाता संख्या 633 का आराजी नम्बर 1096 कुल खसरा 01 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा मे पहुंचने हेतू ग्राम लाम्बियाकला की आराजी नं० 1094 मे से 0-01 बीघा मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावे। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी०एल०सी० की दरों की दुगुनी राशि (0-01 बीघा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।


(दिवांशु शर्मा)
सुपरग्रन्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा